भारत में कंपनी शासन (1773-1858)

//

भारत में कंपनी शासन (1773-1858)

ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन

- ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन (वर्ष **1608**)→ व्यापार की अनुमति (जहाँगीर से)
- भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन वर्ष **1757** में प्लासी के युद्ध के बाद आरंभ

1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट

स्थापना:

- ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण एवं केंद्रीकृत शासन
- कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट (वर्ष 1774)

बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल – वॉरेन हेस्टिंग्स

- कंपनी के कर्मचारियों को निज़ी व्यापार या रिश्वत लेने से प्रतिबंधित किया गया

वर्ष 1781 का संशोधन अधिनियम

- रेग्युलेटिंग एक्ट 1773 के हल किये गए मुद्दे
- गवर्नर-जनरल काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र और राजस्व निरीक्षण से छूट दी गई

पिट्स इंडिया एक्ट 1784

- कंपनी के विभेदित वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्य
- **कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स** → वाणिज्यिक मामले; **बोर्ड ऑफ कंट्रोल** → राजनीतिक मामले
- द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना
- कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन को सर्वोच्च नियंत्रण प्रदान किया गया

1786(संशोधित) अधिनियम :

- लॉर्ड कॉर्नवॉलिस GGB नियुक्त हुए - उन्हें सर्वोच्च अधिकार दिये गए और कमांडर-इन-चीफ बनाया गया

1793 का चार्टर अधिनियम

- गवर्नर-जनरल की शक्तियों में वृद्धि
- बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसी पर नियंत्रण में वृद्धि
- ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार → 20 वर्ष से अधिक
- बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारतीय राजस्व से भुगतान की अनुमति

1813 का चार्टर अधिनियम

- भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया (चाय और चीन को छोड़कर)
- भारत में ईसाई मिशनरियों को अनुमति दी गई; पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया गया
- प्राधिकृत स्थानीय कर और भुगतान न करने पर दंड का प्रावधान

1833 का चार्टर अधिनियम

- केंद्रीकृत सरकार की स्थापना
- GGB → भारत के गवर्नर-जनरल

भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल → लॉर्ड विलियम बेंटिक

- विधि आयोग की स्थापना (वर्ष 1834) (अध्यक्ष - लॉर्ड मैकाले)
- ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्णतः प्रशासनिक हो गया (कोई वाणिज्यिक गतिविधि नहीं)
- सिविल सेवा पदों के लिये खुली प्रतियोगिता का प्रस्ताव (बाद में विरोध)

1853 का चार्टर अधिनियम

- अंतिम चार्टर अधिनियम ने भारत में शासन व्यवस्था को नया स्वरूप प्रदान किया
- **भारतीय (केंद्रीय) विधान परिषद की स्थापना (लघु-संसद)**
- विधायी और कार्यकारी कार्यों का पहला पृथक्करण
- भारतीयों के लिये सिविल सेवा में भर्ती का मार्ग खुला और भर्ती का मूल्यांकन किया जाने लगा
- कंपनी को अनिश्चित काल तक (क्राउन के अधीन) क्षेत्रों को संधारित करने की अनुमति दी गई

कंपनी का शासन भारत सरकार अधिनियम, 1858 के साथ समाप्त हो गया जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया तथा भारत को ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा गया।

और पढ़ें: भारत में कंपनी शासन (1773-1858)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/the-company-rule-in-india-1773-1858-2